उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 21.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'साइबर जागरुकता' अभियान।**
- **महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना चरखारी एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं साइबर जागरुकता अभियान के अन्तर्गत जागरुक किया गया साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 21.08.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 20.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हर्षित मिश्रा मय हमराह का0 राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त पप्पू पुत्र रामसिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कहरा थाना खन्न जनपद महोबा जिसके कब्जे से 15 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए कहरा मोड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 94/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

पप्पू पुत्र रामसिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कहरा थाना खन्न जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हर्षित मिश्रा
2. का0 राहुल कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने 01 परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां- संवाद है समाधान – परिवार बने सम्मान।"

- आज दिनांकः- 21.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन महिला थाना की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 07 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।
- परिवार परामर्श के दौरान उ0नि0 गयास अहमद, म0कां0 रेखा देवी सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्री रामजी गुप्ता, श्री सुरेश जायसवाल, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्रीमती डॉ विभा पुरवार, श्रीमती नीतू पालीवाल व श्रीमती नेहा चंसौरिया आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

संवाद है समाधान – परिवार बने सम्मान।"

@MahobaPolice

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल सदर के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया, आगामी त्यौहारो को लेकर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

आज दिनांक 21.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे की उपस्थिति में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भटीपुरा पुलिस चौकी के प्रांगण में सिटी सर्किल के विवेचकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। बैठक में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र व चौकियों के प्रभारीगण, विवेचकगण तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये–

विवेचना निस्तारण–

लंबित विवेचनाओं का शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाये।

विवेचना में लापरवाही/शिथिलता किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

महिला सम्बन्धी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही –

महिला व बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों पर तात्कालिक व प्रभावी कार्यवाही की जाये।

1090, 112 डायल सेवा एवं महिला हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार कर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करायी जाये।

थाना/चौकी स्तर पर महिला हेल्प डेस्क को और अधिक सक्रिय रखने के निर्देश दिये गये।

कानून-व्यवस्था एवं आगामी त्यौहारों की तैयारी –

आगामी त्यौहारों गणेश चतुर्थी आदि को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने एवं प्रभावी गश्त/चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी, शांति समिति की बैठकें एवं धार्मिक आयोजनों में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

सोशल मीडिया पर अफवाहों पर पैनी नजर रखते हुए त्वरित खण्डन/कार्रवाई की जाये।

जनसुनवाई व शिकायत निस्तारण –

पुलिस थानों/चौकियों पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत का संवेदनशीलता एवं गंभीरता से निस्तारण किया जाये।

थाना दिवस व चौकी दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाये।

अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम –

सक्रिय अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों एवं वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु सतत अभियान चलाया जाये।

रात्रिकालीन गश्त, बैंक/एटीएम/मार्केट क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाये।

बैठक के अंत में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्पष्ट किया गया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। त्यौहारों के दौरान अम्न-शांति बनाए रखने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार सम्पन्न कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को
आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की हुई सजा।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 21.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न. 1 महोबा द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

विवरण निम्नवत है:-

थाना महोबकंठ में पंजीकृत अपराध संख्या 1232/2013 धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त खचोरे उर्फ कढोरे उर्फ विपेन्द्र पुत्र कल्लू बुनकर निवासी उमरई थाना महोबकंठ जनपद महोबा को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कां. शमीम खां
पैरोकार- थाना महोबकंठ

विवचेक
निरीक्षक नयन सिंह

तेज प्रताप पचौरी,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल)

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप सिविल जज जू0डि0 मौदहा हमीरपुर द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2005 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त हरदेव पुत्र रामकुमार यादव निवासी रिवई थाना कबरई जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 1,500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।